भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–01/2009–10

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
29.03.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक श्री चित्तरंजन मंडल, पिता–स्व0 भूपन मंडल, निवासी–वार्ड नं0–08, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–491/2008–09, दिनांक–12.02.2009 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक–05.06.2009 को नामांतरण अपील वाद संख्या–01/2009–10 दायर किया गया है, जिसमें देवव्रत मंडल, पिता–गणेश मंडल, वार्ड नं0–06, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है।	

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0–06	–	84	400(a)	0.02.000 ए0
			400(b)	0.00.250 ए0
			400(c)	0.01.000 ए0
		127	220	0.25.000 ए0
			222	0.06.000 ए0
			कुल रकवा	0.34.250 ए0

अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिसमें वे कानूनी उत्तराधिकारी है। आवेदन पत्र में बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाते की भूमि है एवं दखल कॉलम में युधिष्ठिर मंडल का नाम दर्ज है। जिसका पारिवारिक बँटवारा नहीं हुआ है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का दखल–कब्जा भी नहीं है। बिक्रेता को बहला फुसलाकर प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि का वसीयतनामा कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि संयुक्त खाते की भूमि का बिना बँटवारा का अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा अभिलेख में उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। जमाबंदी पंजी–II में युधिष्ठिर मंडल, पिता–रिदाय मंडल ईत्यादि का नाम दर्ज है। अरूण मंडल, पिता–स्व0 युधिष्ठिर

मंडल जमाबंदी/पंजी–II रैयत का पुत्र है। अरूण मंडल द्वारा निबंधन कार्यालय, चाईबासा से दिनांक–07.08.2004 को वसीयतनामा के माध्यम से प्रश्नगत भूमि देवव्रत मंडल को दिया है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है।

सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–440, दिनांक–27.10.2010 द्वारा कुर्सीनामा प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हाल सर्वे खतियान में युधिष्ठिर मंडल, पिता–रिदाई मंडल वो गणेश मंडल, पिता–वंशीधर मंडल वो दुखीराम मंडल, पिता–परिक्षित मंडल एक अंश वो मुचीराम मंडल, पिता–घासीराम मंडल वो भुवन मंडल, पिता–रोहनी मंडल एक अंश समान दर्ज है। अपीलार्थी खतियानी रैयत मुचीराम मंडल के वंशज हैं जबकि प्रतिवादी खतियानी रैयत युधिष्ठिर मंडल के वंशज हैं। वंशावली के अनुसार दोनों अलग–अलग वंश के हैं।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित पाए गए। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधन कार्यालय, चाईबासा से दिनांक–09.08.2004 को अपने निज चाचा अरूण मंडल से वसीयतनामा कराया है, जिसक I 2nd Add, District & Session Judge, चाईबासा द्वारा Probate Case No.-06/2009 के माध्यम से Probate भी हो गया है।

उक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का दखल–कब्जा है साथ ही प्रतिवादी को प्रश्नगत भूमि वसीयतनामा द्वारा प्राप्त हुआ है। वसीयतनामा का Probate भी हो चूका है। अतएव अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या–491/2008–2009, दिनांक–12.02.2009 में पारित नामांतरण स्वीकृति आदेश उचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–491/2008–2009, दिनांक–12.02.2009 में पारित नामांतरण स्वीकृति आदेश को यथावत रखते हुए आवेदक के आवेदन पत्र एवं इस अपील वाद को खारिज किया जाता हैं।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 16:23:30 +05:30
Location: 192.168.1.39